न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 03/2024

1. कृष्णा पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. रणजीत पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौहिलांवाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत चौहिलांवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. संतराम पुत्र सुल्तान जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 05, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. अमरजीत पुत्र जागर सिहं जाति बाजीगर निवासी वार्ड नम्बर 05, चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. रमेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 14, चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. मनीराम पुत्र बुधराम जाति बाल्मिकी निवासी वार्ड नम्बर 06, चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. रामस्वरूप पुत्र हजारी राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 05, चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. मुकेश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 05, चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. सेसकरण पुत्र साहबराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नम्बर 05, चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. उदयपाल पुत्र प्रेम कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 03, चक 1 सी.एस. पोस्ट चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राजेन्द्र पुत्र प्रकाश जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 03, चक 1 सी.एस. पोस्ट चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. विनोद कुमार पुत्र पतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 04, चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. गोरधन पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी वार्ड न. 4 चौहिलावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 26.07.2022 ग्राम पंचायत चोहिलांवाली द्वारा जारी, को निरस्त फरमाने बाबत

उपस्थित:— 1. श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा अभिभाषक अप्रार्थीयान

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

—:निर्णय:—

दिनांक:—21.02.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गांव चोहिलांवाली के स्थायी निवासी हैं। प्रार्थीया संख्या—1 के ससुर व प्रार्थी संख्या—2 के पिता ने सन् 1965 में निम्नलिखित आसा पासा के भूखण्ड पर कब्जा कर रिहायश प्रारम्भ की है—उत्तर 100 फुट गोरधन का मकान दक्षिण 100 फुट प्रार्थी सं. 02 की कृषि भूमि पूर्व 30 फुट लिच्छीराम का मकान पश्चिम 22 फुट गली आम है। निगरानी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या—1 में वर्णित भूखण्ड पर प्रार्थीया संख्या—1 के ससुर व प्रार्थी संख्या—2 के पिता ने सन् 1965 में कब्जा कर उपरोक्त भूखण्ड पर चारदीवारी कर अपनी कृषि भूमि में बनी ढ़ाणी में शामिल कर लिया तथा उपरोक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग करने लगे तथा प्रार्थीया संख्या—1 की शादी प्रार्थी संख्या—2 के साथ अर्सा 40 वर्ष पूर्व हुई थी तथा तभी से प्रार्थीया संख्या—1 इसी भूखण्ड का उपयोग उपभोग कर रही है। उपरोक्त भूखण्ड का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण बिना किसी रोक टोक के करते चले आ रहे हैं। एक व्यक्ति सन्तराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र में यह मिथ्या अभिवाक लिया कि प्रार्थीगण व अन्य ने फिरनी/रास्ता के स्थान पर अतिक्रमण कर रखा है संतराम की उक्त शिकायत पर ग्राम पंचायत चोहिलांवाली के पटवारी हल्का व विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर अपनी अपनी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें प्रश्नगत स्थल पर प्रार्थीगण का कब्जा होना पाया गया तथा ग्राम पंचायत रिकार्ड व मौका पर फिरनी होना नहीं पाया गया। माननीय जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा की गई जांच में भी मौका पर फिरनी/रास्ता नहीं पाया गया तथा जिस पर संतराम की शिकायत को झूठा मानकर प्रार्थीगण व अन्य के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश फरमाये गये। इसके अलावा गांव के दो व्यक्ति गोरधन व पतराम ने भी प्रार्थी संख्या—2 के विरूद्ध एक दीवानी वाद संख्या 12/2017 बअनवानी "गोरधन आदि बनाम रणजीत" माननीय ग्राम न्यायालय हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद पत्र के साथ एक विविध दीवानी संख्या 16/2017 भी प्रस्तुत किया। माननीय ग्राम न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर गोरधन व पतराम का स्थगन प्रार्थना पत्र के निर्णय में आबादी भूमि में दक्षिण दिशा में किसी प्रकार की फिरनी नहीं होने की विवेचना करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया तत्पश्चात दिनांक 16.03.2020 को उनका वाद पत्र खारिज हुआ। प्रार्थीया संख्या—1 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत चोहिलांवाली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीया संख्या—1 के उक्त प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया संख्या—1 के कब्जे का सर्वे किया गया जो सर्वे रजिस्टर में क्रम संख्या 142 पर दर्ज है। उक्त सर्वे के सम्बंध में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 29.04.2017 को सर्वसाधारण से आपत्ति मांगी, लेकिन अप्रार्थी ने प्रार्थीया संख्या—1 को सूचना दिये बिना ही जिन प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति दर्ज है, के आधार पर उनके नियमन प्रार्थना पत्र पर विचार न करने का आदेश पारित किया जिसकी कोई दिनांक, महिना व सन् अंकित नहीं किया तथा प्रार्थीया संख्या—1 इसी भरोसे व विश्वास में रही कि उसका नियमन का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड से बेदखल करने की कार्यवाही करने पर प्रार्थीया संख्या—1 के पति प्रार्थी संख्या 2 ने श्रीमान न्यायाधिकारी महोदय ग्राम न्यायालय के समक्ष वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थीया संख्या—1 के नियमन के प्रार्थना पत्र के विचाराधीन होने का कथन किया लेकिन ग्राम पंचायत ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत का लैटर पैड दिनांक 26.07.2022 प्रस्तुत किया तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया संख्या—1 के प्रार्थना पत्र पर विचार न करने का आदेश की प्रति भी पेश की। माननीय ग्राम न्यायालय, हनुमानगढ़ ने दिनांक 20.12.2023 को प्रार्थी संख्या—2 का स्थगन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राजस्थान पचांयतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी संख्या—2 ने अपील प्रस्तुत की हुयी है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हुई विवेचना के आधार पर उक्त मामला माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में पारित आदेश जिस पर न कोई दिनांक, वर्ष, महिना अंकित है, का कोई ज्ञान नहीं था तथा दावा प्रस्तुत होने के पश्चात् अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया संख्या—1 का नियमन प्रार्थना पत्र खारिज होने के कथन किये गये। प्रार्थीगण ग्राम पंचायत द्वारा पारित

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

आदेश दिनाक 26.07.2022 से विपरीत रूप से प्रभावित है तथा प्रार्थीगण निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी पेश करते हैं–आक्षेपित आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आक्षेपित आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रश्नगत स्थल फिरनी अथवा रास्ता का भाग नहीं है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में ही संतराम द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रश्नगत स्थल फिरनी या रास्ता का भाग नहीं है तथा ग्राम पंचायत के नक्शा में भी प्रश्नगत स्थल रास्ता या फिरनी का भाग दर्शाया हुआ नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत ने अपने पूर्ववर्ती कथनों से हटकर मात्र किसी व्यक्ति का आक्षेप आने पर प्रार्थीया संख्या–1 के नियमन प्रार्थना पत्र विचार न करने का आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। किसी व्यक्ति का आक्षेप आने पर उसकी नकल प्रार्थीया संख्या–1 को दी जाकर उस पर प्रार्थीया संख्या–1 को सुना जाना आवश्यक था, लेकिन ग्राम पंचायत ने आक्षेप का निस्तारण किये बिना ही एकपक्षीय तौर पर आक्षेप को स्वीकार करते हुए प्रार्थीया के नियमन प्रार्थना पत्र पर विचार न करने का आदेश पारित किया है। प्रार्थीया संख्या–1 के आवेदन पत्र पर विचार न करने का कोई सुदृढ़ आधार या कानूनी स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित उक्त आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता व ना ही ऐसा आदेश विधि सम्मत है। इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 26.07.2022 को क्रमांक 57/2022–2023 पत्र ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किये हैं कि उक्त भूखण्ड के नियमन करवाने का प्रार्थना पत्र तत्कालीन सरपंच महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, लेकिन तत्कालीन सरपंच महोदय द्वारा जारी आदेश की दिनांक अंकित नहीं की तथा ना ही खारिज होने का आदेश प्रस्तुत किया। जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया संख्या–1 के आवेदन पर विचार न करने का आदेश पारित किया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में प्रार्थीया संख्या–1 के ससुर का कब्जा था तथा वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीया संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत नियमन प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत द्वारा रिपोर्ट भी मंगवाई गई जिसमें सर्वे लिस्ट में प्रार्थीगण का कब्जा 142 क्रम संख्या पर दर्ज किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा भी प्रश्नगत स्थल पर रास्ता आम नहीं होने की अवधारणा पारित की है। ग्राम पंचायत के नियमों के मुताबिक प्रार्थीगण का भूखण्ड नियमन होने योग्य था लेकिन ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण के भूखण्ड का नियमन न कर अहम भूल की है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को कब्जे से बेदखल करने की कार्यवाही करने पर प्रार्थी संख्या–2 की ओर से दीवानी वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें सर्वप्रथम अप्रार्थीगण द्वारा आक्षेपित आदेश पारित होने के कथन किये गये। न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2023 को स्थगन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थीया संख्या–1 का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हैं जिसकी अपील भी पेश की गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने अपने नये अधिवक्ता से सम्पर्क कर इस सम्बंध में विचार विमर्श किया तो उन्होनें उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने की राय दी। कानूनन ग्राम पंचायत की किसी कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी करने की मियाद नियत नहीं है। उक्त परिस्थितियों में निगरानी प्रार्थना पत्र हर प्रकार से अन्दर मियाद है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.07.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रार्थीया संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत नियमन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित प्रश्नगत भूखण्ड का नियमन करने के आदेश फरमाये जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26.07.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रार्थीया संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत नियगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–1 में वर्णित प्रश्नगत भूखण्ड का नियमन करने के आदेश फरमाये जावे।

अभिभाषक अप्रार्थीयान ने अपनी बहस में कथन किये कि अभिभाषक अप्रार्थीयान ने अपनी बहस के समर्थन में कथन किये कि निगरानीकर्ता कृष्णा व इसके पति रणजीत द्वारा पंचायत की भूमि जो अर्सा दराज से गली के रूप मे आम ग्रागजनों द्वारा प्रयोग मे की जा रही थी उस गली पर कच्ची ईटों आदि से कब्जा कर रास्ता के आवागमन मे व्यवधान पैदा किया गया था जिसके लिए पंचायत द्वारा रणजीत के खिलाफ नोटिस जारी किये गये और रास्ता की जगह मे अतिक्रमण हटाने का नोटिस बार बार दिया गया। बार बार नोटिस देने के बाद मात्र रणजीत अकेले द्वारा एक सिविल वाद ग्राग न्यायालय, हनुमानगढ मे स्थाई निषेधाज्ञा बाबत ग्राम पंचायत चौहिलावाली के खिलाफ दायर किया कि प्रश्नगत स्थल पर सन् 1965 से रणजीत पुत्र मलूराम निगरानीकर्ता का कब्जा है और इस स्थल को नियमित करने हेतू एक प्रार्थना पत्र कृष्णा देवी पत्नी रणजीत द्वारा अपना कब्जा बताकर नियमन का दिया हुआ है। अब पंचायत जबरन कब्जा से बेदखल करना चाहती है। इस प्रकार का प्रार्थना पत्र ग्राम न्यायालय मे प्रस्तुत करने के साथ साथ एक स्थगन प्रार्थना पत्र भी ग्राम न्यायालय मे प्रस्तुत किया और जिसमे यह मांग की, कि ग्राम पंचायत कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना प्रार्थी रणजीत को बेदखल न करे। यानि सिविल न्यायालय मे कृष्णा द्वारा कोई वाद दायर नही किया गया। इसके पश्चात पंचायत ने न्यायालय आकर तमाम तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे और यह बताया कि रणजीत पुत्र मलूराम जिसकी आयु 63 वर्ष उसने स्वयं ने बताई है तो उसका 1965 से कब्जा नही हो सकता। 1965 मे रणजीत की आयु मात्र 4–5 साल बनती है व प्रश्नगत स्थल पीलीबंगा रोड़ से लेकर गांव के अन्दर तक रणजीत के खेत मे बनी ढाणी के आगे से उत्तर दिशा की तरफ होती हुई मलूराम के घर के पीछे से यानि दक्षिण दिशा की ओर होती हुई पंचायत की जगह है जो अर्सा दराज से उस गली मे निवास करने वाले लोगो के द्वारा व आम ग्रामजनों के द्वारा रास्ता के रूप मे प्रयोग की जा रही है। इस तथ्य पर ग्राम न्यायालय द्वारा तारीख 20.12.2023 को रणजीत पुत्र मलूराम को प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज कर दिया व सिविल न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टयां मामला रणजीत का नही माना गया और इसी प्रकार सुविधा सतुलन, अपूर्णिय क्षति भी नही मानी गई और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उस सिविल वाद मे कृष्णा देवी निगरानीकर्ता पक्षकार नही थी। स्थगन आदेश सिविल न्यायालय द्वारा खारिज होने पर रणजीत पुत्र मलूराम द्वारा जिला न्यायालय मे अपील की गई जो अपील न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नही दिया और उस परिस्थिति मे रणजीत द्वारा जिला न्यायालय मे अपनी दायर की गई अपील वापिस ले ली जिससे अपील खारिज कर दी गई। इन परिस्थितियों मे रणजीत द्वारा कोई प्रार्थना पत्र नियमन का पंचायत मे तो पेश किया गया और ना ही जैरकार था। इस हालात को देखते हुये यह निगरानी रणजीत द्वारा अपनी पत्नि कृष्णा को शामिल करते हुये प्रस्तुत की गई। किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश न होने के कारण पंचायत द्वारा प्रशासन के सहयोग से उक्त रास्ता की जगह को उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा किये गये आदेश के अनुसार हल्का पटवारी, हल्का गिरदावर, सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी व तहसीलदार की उपस्थिति मे पुलिस जाप्ता ले जाकर रास्ता को साफ करवाते हुये पंचायत की भूमि से अतिक्रमण हटावा दिया जिसका विवरण फोटो सहित अखबारों मे प्रकाशित हो गया और मौका पर रास्ता को आम ग्रामजनो के आवागमन हेतू खुलवाते हुये साफ कर दिया। तमाम रिकॉर्ड प्रस्तुत है। अर्सा दरास से यह स्थल आम ग्रामजनों द्वारा रास्ता के रूप मे प्रयोग होता आ रहा था और अब भी मौका पर भी रास्ता है ।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

ग्राम पंचायत मे सन् 2017 मे तत्कालीन सरपंच के समक्ष करीब 150 आदमियों द्वारा अपने कब्जा को नियमन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये थे जिसकी रिपोर्ट आदि ली गई व जिन जिन लोगो के कब्जे नाजायज व आपत्ति आधीन हुये या किसी सार्वजनिक जगह पर थे तो उनको नियमन नही किया गया और इसी प्रकार कृष्णा देवी पत्नी रणजीत का मामला भी आपत्ति आधीन होने के कारण व रास्ता का विवाद होने के कारण दिनांक 20.05.2017 को सरेआम पंचायत की मिटिंग मे नियमन योग्य न मानते हुये विवादीत स्थल को कृष्णा देवी के नाम से पटटा / नियमन नही हो सकने का सर्वसम्मती से आदेश पारित हो गया। इस प्रकार तारीख 26.07.2022 को कोई आदेश नियमन बाबत पारित नही हुआ था। इस प्रकार पूर्व सरंपच द्वारा ही 2017 मे ही कृष्णा देवी का प्रार्थना पत्र राही नही माना गया। दिनांक 26.07.2022 को कोई आदेश कृष्णा देवी का प्रार्थना पत्र नियमन खारिज करने का नही गया। दिनांक 26.07.2022 को जारी किया गया पत्र माननीय सिविल न्यायालय मे पंचायत द्वारा दिया गया पत्र मात्र है न कि पंचायत का कोई आदेश। पंचायत द्वारा प्रशासन के सहयोग से आमजन के प्रयोग मे आने वाली गली को अतिक्रमण हटवाते हुये जब साफ कर दिया गया और ग्राम के आमजन आने जाने लग गये है लेकिन उसके बाद भी निगरानीकर्ता जानबूझकर आमजन के रास्ता के प्रयोग मे आने वाली जगह मे जानबूझकर बाधा पैदा करने के लिए अपने कृषि उपकरण, ट्रेक्टर–ट्राली आदि जानबूझकर आमजन के रास्ते के प्रयोग मे आने वाली जगह मे रख देते है जिस कारण आमजन के आवागमन मे बाधा उत्पन्न हो रही है जिसको रोकना आवश्यक है। लेकिन अदालत हाजा मे निगरानी की आड़ मे निगरानीकर्ता अब भी रास्ता की जगह मे बाधा पैदा कर रहे है व पशु आदि बाध देते है मामला मे हर प्रकार से कानूनी बिन्दू पंचायत के पक्ष मे है और पंचायत गावं के आमजनों के हितार्थ तमाम कार्यवाही की है व कर रही है। उक्त स्थल के नीचे से सरकारी वाटरवर्कस की दो पाईप लाईन भी अर्सा दराज से गुजर रही है जो आगे ग्राम के अन्य क्षेत्र मे जाती है इसलिए स्थल पर ना तो वास्तविक रूप से कब्जा ही प्रार्थीयान का है और ना ही नियमन हो सकता है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति के पत्र कमांक प.स.हनु/पंचायत/अतिक्रमण/2021–22 6536–39 दिनांक 17.02.2022 के अनुसार ग्राम पंचायत चौहिलावाली की आबादी में गांव की दक्षिण फिरनी(आम रास्ता) में चार कच्चे शौचालय, कच्ची चौकिया, एक कच्ची व एक पक्की दीवार बनाकर आम रास्ते में अतिक्रमण किया हुआ है।
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र), बीकानेर के पत्र कमांक जिपबी/ग्राविप्र/2024–25 दिनांक 27.08.2024 से संलग्न जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता अर्सादराज चलन का रास्ता रहा है। उक्त विवादित भूमि से सम्बधित न तो निगरानीकर्ता के पास मालिकाना हक का कोई दस्तावेज है और ना ही ग्राम पंचायत के पास आम रास्ता/फिरनी होने का कोई अधिकृत दस्तावेज है। परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि उक्त विवादित भूमि आबादी भूमि है। राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 136 के तहत आबादी क्षेत्र के भीतर आने वाली सभी सरकारी भूमिया पंचायत में निहित होगी। विवादित स्थल के दोनो तरफ भी रास्ता चालु है।। विवादित स्थल के दोनो तरफ भी रास्ता चालु है जिसको निगरानीकर्ता द्वारा बंद करने पर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियम 1996, में विहित प्रकिया का पालन करते हुए कब्जे शुदा विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

3. निगरानीकर्ता द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है, जिससे निगरानीकर्ता का विवादित भूखण्ड पर कोई हक हो और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य दौराने बहस प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता केवल कब्जे के आधार पर पर अपना हक चाहता है। कब्जे के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा DNJ 2022 PAGE 302 Padhiyar Prahlad Ji Chomali (Deceased) Thro'LR vs Maniben Nagmalbhai (Deceased) Thro'LR' & others में मत प्रतिपादित किया है कि "उक्त स्थिति में भी अतिक्रमी को अनुतोष नहीं दिया जा सकता" अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में प्रकरण निगरानीकार के पक्ष में नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रार्थीयान का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़